

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

स्पीड पोस्ट/गोपनीय  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)

18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली-110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)

18, Institutional Area,  
Shaheed Jeet Singh Marg,  
New Delhi-110016.

Tel.: 26858570 Fax 26514179

Website: www.kvsangathan.nic.in

एफ0 19029/Xi-5/2014-के0वि0सं0 (सतर्कता)/2165-70

दिनांक: 21.10.2020

आदेश


विभिन्न अधिकारियों को अनुशासनिक शाक्तियां प्रदान करने से संबंधित केन्द्रीय विद्यालय संगठन की अनुसूची-11 (नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता इत्यादि, नियमावली, 1971) के अंतर्गत जारी दिनांक 27.02.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा परिचालित आदेशों के अनुसरण में, के0वि0सं0 (मु0) के निम्नलिखित संयुक्त आयुक्तों को इस कार्यालय के दिनांक 05 जनवरी, 2018 के समसंख्यक आदेश द्वारा जारी संभागों के अतिरिक्त उनके नामों के सामने दिए गए निम्नलिखित अन्य संभागों/जैड आई.ई.टी. में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भी अपीलीय प्राधिकारी तथा रिविजनिंग एवं रिव्यूइंग प्राधिकारी की शाक्तियां प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की जानकारी एतत् द्वारा प्रदान की जाती है:-

संयुक्त आयुक्त	संभाग/जैड आई.ई.टी.
संयुक्त आयुक्त (प्रशि0)	अहमदाबाद, जबलपुर व आगरा संभाग
संयुक्त आयुक्त (शै0)	कोलकाता, तिनसुकिया, जैड आई.ई.टी. चंडीगढ़
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)	चंडीगढ़ व भुवनेश्वर संभाग

इसके अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) के कार्यभार ग्रहण करने तक उन्हें सौंपे गए संभाग/जैड आई.ई.टी. का वितरण संयुक्त आयुक्त (प्रशि0) व संयुक्त आयुक्त (शै0) के बीच निम्नप्रकार किया गया है:-

संयुक्त आयुक्त (प्रशि0)	बैंगलोर, वाराणसी, सिलचर, चंडीगढ़ संभाग व जैड आई.ई.टी.मुंबई
संयुक्त आयुक्त (शै0)	जयपुर, रांची, देहरादून, भुवनेश्वर संभाग व जैड आई.ई.टी. भुवनेश्वर

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

  
20/10/20  
(डॉ0 (श्रीमती) वि0 विजयालक्ष्मी)  
अपर आयुक्त (शैक्षिक) एवं  
मुख्य सतर्कता अधिकारी

वितरण :

1. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक/प्रशिक्षण/शैक्षिक), के0वि0सं0 (मु0), नई दिल्ली।
2. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
3. निदेशक, समस्त आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
4. समस्त अधिकारी तथा अनुभाग, के0वि0सं0 (मु0), नई दिल्ली।
5. उपायुक्त (शै0) ई0डी0पी0 प्रकोष्ठ, के0वि0सं0 (मु0) - आदेश को के0वि0सं0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।